



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252375
CG-DL-E-26022024-252375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945

No. 819]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2024

सं. 23/2024

का.आ. 859(अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा 35 की उपधारा(1) के खंड(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (पैन:AAAJP0325R) को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग तथा 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड(ii) के प्रयोजनों के लिए 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु 'विश्व विद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी (अर्थात् पिछले वर्ष 2023-24 से) तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2024-25 से 2028-29 के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 203/24/2023/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2024

No. 23/2024

S.O. 859(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby approves '**Panjab University, Chandigarh (PAN: AAAJP0325R)**' under the category of '**University, college or other institution**' for '**Scientific Research**' for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall apply with effect from the date of publication in the Official Gazette (i.e. from the Previous Year 2023-24) and accordingly shall be applicable for Assessment Years 2024-2025 to 2028-2029.

[F. No. 203/24/2023/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification.